न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पुष्कर, अजमेर (राज0)

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	आरसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
15 / 2018	2018 / 00034	11.04.2018	08.01.2021

उनवान

श्री रामसिंह पुत्र स्व0 श्री घीसा व अन्य समस्त जाति रावत निवासीगण ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

प्रार्थीगण

बनाम

श्री मोड़ा सिंह पुत्र स्व0 श्री हजारी व अन्य जाति रावत निवासीगण ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर जिला अजमेर।

अप्रार्थीगण

उपस्थितः–

श्री नरेन्द्र सिंह राजावत्, वकील, प्रार्थीगण।
श्री महेन्द्र सिंह चौहान, वकील, अप्रार्थीगण संख्या 02।
अप्रार्थी संख्या 01 मोडा सिंह, स्वंय उपस्थित।
पैरोकार सरकार तहसीलदार पुष्कर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत ग्राम नाला पुष्कर जिला अजमेर में अवस्थित खाता संख्या [illegible] 9 / 2169 रकबा 06–10–00 बीघा के वर्तमान खसरा नं0 2000, 2023, 202[illegible], 2025, [illegible]035 / 2900, 2026, 2027, 2028, 2029 कुल किता 09 कुल रकबा 1.05 हे0 तथा [illegible] संख्या 57 के वर्किंग खसरा नं0 729 रकबा 06–11–00 बीघा के वर्तमान खसरा नं0 1[illegible]5 रकबा 1.05 है0 मे[illegible] विभाग द्वारा कारित लिपिकीय त्रुटि को दुरूस्त किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

Rathore 08/01/2021

ग्राम नाला पुष्कर तहसील पुष्कर में अवस्थित खाता संख्या 56 के वर्किंग खसरा नं0 729/2169 रकबा 06–10–00 बीघा किस्म बारानी 03 प्रार्थीगण के पिता श्री घीसा पुत्र गिरधारी जाति रावत के खातेदारी व आधिपत्य की रही है, जिनके निधन के पश्चात् जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 855 दिनांक 24.02.2007 द्वारा प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य में आज दिवस तक चली आ रही है। जो वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में किये गये इन्द्राज से पूर्णतः सिद्ध है।

इसी प्रकार ग्राम नाला पुष्कर में अवस्थित वर्किंग खाता संख्या 57 के वर्किंग खसरा नं0 729 रकबा 06–11–00 बीघा किस्म बारानी 03 भूमि घीसा व हजारी पुत्रगण श्री गिरधारी जाति रावत के 1/2–1/2 संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य की रही है, जिसमें से 1/2 हिस्से के संयुक्त खातेदार श्री घीसा पुत्र गिरधारी का स्वर्गवास हो जाने के पश्चात् 1/2 हिस्से की भूमि जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 855 दिनांक 24.02.2007 द्वारा प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी व आधिपत्य में चली आ रही है, इसी प्रकार शेष 1/2 हिस्से के संयुक्त हिस्सेदार हजारी पुत्र गिरधारी का स्वर्गवास हो जाने पर 1/2 हिस्से की भूमि जरिये विरासत नामान्तकरण संख्या 797 दिनांक 12.09.2006 द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 मोड़ा सिंह एवं श्रीमती आपू देवी, श्रीमती चूका देवी व श्रीमती भोली देवी के खातेदारी में दर्ज की गई तत्पश्चात् श्रीमती आपू देवी का स्वर्गवास हो जाने तथा श्रीमती भोली देवी व चूका देवी द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का हक त्याग अप्रार्थी संख्या 01 श्री मोड़ा सिंह के पक्ष में कर दिये जाने से जरिये नामान्तकरण संख्या 147 दिनांक 29.07.2014 द्वारा स्व0 श्री हजारी का सम्पूर्ण 1/2 हिस्सा भूमि अप्रार्थी संख्या 01 श्री मोड़ा सिंह के नाम दर्ज की गई, जो कि वर्किंग जमाबन्दी संवत् 2041 में किये गये इन्द्राज से सिद्ध है। इस प्रकार वर्तमान राजस्व जमाबंदी में साबिक खसरा नं0 729 के नवीन खसरा नं0 1975 खातेदार रामसिंह, सम्बर सिंह, पांचू सिंह, बन्ना सिंह, अन्ना सिंह पुत्रगण घीसा कौम रावत सा.देह खातेदार राहिन एस0बी0आई शाखा पुष्कर मुर्तहीन के नाम दर्ज करने तथा साबिक खसरा नं0 729/2169 के नवीन खसरा नं0 2000, 2023, 2024, 2025, 2025/2900, 2026, 2027, 2028, 2029 कुल किता 09 रकबा 1.05 है0 खातेदार रामसिंह, सम्बर सिंह, पांचू सिंह, बन्ना सिंह, अन्ना सिंह पुत्रगण घीसा कौम रावत सा.देह खातेदार राहिन एस0बी0आई शाखा पुष्कर मुर्तहीन हिस्सा 1/2, कमला देवी [illegible] सिंह हिस्सा 74/210 व मोडा सिंह पुत्र हजारी रावत हिस्सा 31/[illegible] करने हेतु न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

08/01/2021

इस पर प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस मय नकल प्रार्थना पत्र के तलब किया गया। जिसकी अनुपालना में अप्रार्थी सं0 03 (तहसीलदार) द्वारा हाजिर होकर जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया।

पैरोकार सरकार द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए लिखित कथन किया है कि :–

''ग्राम पुष्कर के साबिक मानचित्र सन् 1976 दोनों खसरा नम्बरान 729 रकबा 06–11–00 बीघा व 729/2169 रकबा 06–10–00 को पृथक–पृथक नहीं दर्शाते हुए एक ही खसरा नंबर 729 अंकित किया गया है व खसरा नं0 729/2169 की पृथक से तरमीम अंकित नहीं की गई है तथा ना ही नक्शे दर्ज किया हुआ है। जबकि मौका अनुसार नक्शे के उत्तरी भाग में खसरा नं0 729/2169 एवं दक्षिणी भाग में खसरा नं0 729 स्थित है। भू प्रबंध विभाग द्वारा जारी मिलान क्षेत्रफल अनुसार दक्षिणी भाग में स्थित साबिक खसरा नं0 729 के नवीन खसरा नं0 1975 है बनाते हुए वर्तमान राजस्व मानचित्र में उत्तरी भाग में तरमीम कर दिया गया है। तथा उत्तरी भाग में स्थित साबिक खसरा नं0 729/2169 के नवीन खसरा नं0 2000, 2023, 2024, 2025, 2025/2900, 2026, 2027, 2028, 2029 कुल किता 09 रकबा 1.05 है0 बनाते हुए वर्तमान नक्शे में दक्षिण दिशा में दर्शाते हुए अंकित कर दिये गये है।''

प्रकरण के समस्त पक्षकारान द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष मूल प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों व तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दोहराते हुए दुरूस्ती हेतु सहमति प्रार्थना पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल मिसल किया गया। पक्षकारान निम्नानुसार दुरूस्ती किये जाने हेतु सहमत है:–

1. *वर्तमान खाता संख्या 523 के वर्तमान खसरा नम्बरान 2000 रकबा 0.04 है0, 2023 रकबा 0.08 है0, 2024 रकबा 0.11 है0, 2025 रकबा 0.12 है0, 2025/2900 रकबा 0.01 है0, 2026 रकबा 0.10 है0, 2027 रकबा 0.14 है0, 2028 रकबा 0.20 है0, 2029 रकबा 0.25 है0 में रामसिंह, सम्बर सिंह, पांचू सिंह, बन्ना सिंह, अन्ना सिंह पिसरान घीसा राहिन एस[illegible]/2 हिस्सा, कमला देवी पत्नी मगन सिंह 74/210 हिस्सा व मोड़ा सि[illegible] हजारी 31/210 कौम रावत सा. देह खातेदार की दुरूस्ती किये जाने हेतु सहमत है।*
2. *इसी प्रकार वर्तमान खाता संख्या 524 के वर्तमान खसरा नं0 1975 रकबा 1.06 है0 भूमि में रामसिंह, सम्बर सिंह, पांचू सिंह, बन्ना सिंह, अन्ना सिंह पिसरान घीसा कौम*

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

रावत सा.दे.राहिन एस0बी0आई शाखा पुष्कर मुर्तहीन की दुरूस्ती किये जाने हेतु सहमत है।

सहमति प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 1 व 2 में वर्णितानुसार एवं तहसीलदार पुष्कर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार प्रकरण के पक्षकारान दुरूस्ती करते हुए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किये जाने हेतु पूर्ण रूप से सहमत है, जिसमें किसी भी पक्षकार को किसी प्रकार का उज्र एवं ऐतराज नहीं है तथा ना ही भविष्य में होगा और यदि किसी प्रकार का उज्र व ऐतराज किया जाता है तो इस सहमति प्रार्थना पत्र के समक्ष अवैध व शून्य करार दिया जावे।

हमने उभयपक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्ष द्वारा की गई बहस पर मनन किया। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्यों से यह प्रतीत होता है कि ग्राम नाला पुष्कर, तहसील पुष्कर की आधार नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी/मिलान क्षेत्रफल में **साबिक खसरा नं0 729 के नवीन खसरा नं0 1975 को खातेदार रामसिंह, सम्बरसिंह, पांचूसिंह, बन्नासिंह, अन्नासिंह पुत्रगण घीसा कौम रावत सा. देह. खातेदार राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर पुष्कर मुर्तहीन हिस्सा 1/2, कमलादेवी पत्नी मगनसिंह हिस्सा 37/106, मोडासिंह पुत्र हजारी हिस्सा 16/106 कौम रावत सा.देह. खातेदार के नाम व साबिक खसरा नं0 729/2169 के नवीन खसरा नं0 2000, 2023, 2024, 2025, 2025/2900, 2026, 2027, 2028, 2029 कुल किता 09 रकबा 1.05 है0 को खातेदार रामसिंह, सम्बरसिंह, पांचूसिंह, बन्नासिंह, अन्नासिंह पुत्र घीसा कौम रावत सा.देह. राहिन स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर मुर्तहीन के नाम** कर दिये गये है। जिसकी शुद्धि करना न्यायहित में आवश्यक है।

08/01/2021

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन के परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 सपठित धारा 132 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 को स्वीकार किया जाता है। ग्राम पुष्कर, तहसील पुष्कर के **वर्तमान राजस्व नक्शा ट्रेस/अधिकार अभिलेख/राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में साबिक खसरा नं0 729 के नवीन खसरा नं0 1975 रकबा 1.06 है0 को खातेदार रामसिंह, सम्बर सिंह, पांचू सिंह, बन्ना सिंह, अन्ना सिंह पुत्रगण घीसा कौम रावत सा.देह खातेदार राहिन एस0बी0आई शाखा पुष्कर मुर्तहीन के नाम तथा साबिक खसरा नं0 729/2169 के नवीन खसरा नं0 2000, 2023, 2024, 2025, 2025/2900, 2026, 2027, 2028, 2029 कुल किता 09 रकबा 1.05 है0 को खातेदार रामसिंह, सम्बर सिंह, पांचू सिंह, बन्ना सिंह, अन्ना सिंह पुत्रगण घीसा कौम रावत सा.देह खातेदार राहिन एस0बी0आई शाखा पुष्कर मुर्तहीन हिस्सा 1/2, कमला देवी पत्नी मगन सिंह हिस्सा 74/210 व मोडा सिंह पुत्र हजारी रावत हिस्सा 31/210** राजस्व अभिलेख में दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार पुष्कर को प्रदान किये जाते है।

यह निर्णय आज दिनांक 08.01.2021 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

Rathore 08/01/2021

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, पुष्कर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2021.07.28 11:58:23 IST
Reason: SelfAttested